पत्रांक–7 / कुष्ठ–4–01 / 2013– 39(7)(9)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

भूपेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, / उप निदेशक(मु.)
स्वास्थ्य सेवायें–सह–नियंत्री पदाधिकारी,
कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना ।
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 26-6-13

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200– अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0002–कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड–N2210012000002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–2014 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल–₹2,40,000 / – (दो लाख चालीस हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष / उपशीर्ष / विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश सं0–18(7)ब दिनांक–07.05.2013 तथा मांग पत्र के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–2014 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल–₹2,40,000 / – (दो लाख चालीस हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0002–कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड–N2210012000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. दवा भंडार / चिकित्सा सामग्री भंडार (रसायन) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे, शेष इकाईयो के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये–सह नियंत्री पदाधिकारी, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना /संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक– 21.5.2002, 379(9) दिनांक– 16.8.2002 एवं 73(9) दिनांक– 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा उनका सदुपयोग सुनिश्चत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं ब्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण / मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश / परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

भूपेन्द्र

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3907

पटना, दिनांक : 26-6-13

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक/सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में बिहार स्थित कुष्ठ नियंत्रण उपशीर्ष का अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दवा भंडार (21–02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अपर निदेशक / उप निदेशक(मु.), स्वास्थ्य सेवायें, सह नियंत्री पदाधिकारी, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना	50000	0	50000	193/30.4.13
2	अपर मु0चि0पदा0, मधुबनी	0	40000	40000	
3	अपर मु0चि0पदा0, गया	0	150000	150000	
	कुल	**50000**	**190000**	**240000**	

(दो लाख चालीस हजार) रू. मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	कुल आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	303456000	249800000	0	249800000	53656000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	257937000	169864000	0	169864000	88073000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	49572000	37470000	0	37470000	12102000
4	परिवहन भत्ता (01–05)	56000	10000	0	10000	46000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2801000	2248200	0	2248200	552800
6	अन्य भत्ता (01–07)	3305000	2248200	0	2248200	1056800
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**617127000**	**461640400**	**0**	**461640400**	**155486600**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	200000	0	0	0	200000
8	यात्रा व्यय (11–01)	400000	0	0	0	400000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	900000	450000	0	450000	450000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	400000	201500	50000	251500	148500
11	दूरभाष (13–03)	200000	124000	0	124000	76000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	380000	186000	0	186000	194000
13	विधि प्रभार (13–05)	200000	93000	0	93000	107000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	70000	31000	0	31000	39000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	300000	0	0	0	300000
16	प्रशिक्षण व्यय (20–03)	4957000	0	0	0	4957000
17	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	500000	248000	0	248000	252000
18	दवा भंडार (21–02)	500000	60000	190000	250000	250000
19	आहार / पथ्य (21–03)	1500000	100000	0	100000	1400000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
21	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योगः–	**627636000**	**463133900**	**240000**	**463373900**	**164262100**

सरकार के संयुक्त सचिव

3917)9
26-6-13